FORM No. III

फर्द अहकाम

नियम (26)

2023/78

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... ईटावा ....

बृजमोहन आदि .... बनाम .... विद्याकांई आदि

किस्म मुकदमा नं. 88,53 RT Act .... सन 45/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
25/5/2023	प्रस्तुत वाद वादी की ओर से श्री हेमन्त शर्मा ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि० होकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये समन्न की जाकर पत्रावली दिनांक 30/5/2023 को पेश हो। [signature]	
30/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० वास्ते [illegible] पत्रावली दि० 06/6/23 को पेश हो।	
6/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० प्रतिवादीगण की ओर से [illegible] वकालतनामा एवं जवाबदावा मय [illegible] पेश किया। प्रति दिखवाई गई। पत्रावली वास्ते जवाबुल जवाब दिनांक पुनश्चय पक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की तस्दीक कर राजीनामा [illegible] किया गया। वास्ते बहस राजीनामा पत्रावली दिनांक 4/7/23 को पेश हो।	बृजमोहन विसन् दीपेन्द्र हरिशंकर [signature]
4/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे राजीनामा पेश है उक्त	

धारा .... बनाम ....
.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील मे जारी
	है। अत: मुताबिक राजीनामा पढ़ कर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट ब्यावर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा (राज.)
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.
45/2023

दायरा तिथि
24.05.2023

फैसल तारीख
4/7/23

बउनवान

1– बृजमोहन उर्फ पप्पू पुत्र स्व. मंगल्या आयु 43 वर्श जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
2– राजेश बाई पत्नि स्व0 बृजमोहन उर्फ पप्पू जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)

– वादीगण

बनाम

1– विधाबाई पत्नि स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
2– विष्णु पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
3– दीपेन्द्र पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
4– रामराज पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
5– हरिशंकर पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
6– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के राजस्व रिकार्ड में ग्राम तलाव पटवार सर्कल तलाव तह. पीपल्दा खतौनी स0 299 नया पुराना ख0स0 1500/663 रकबा 1.01है., ख0स0 1501/663 रकबा 1.01है., ख0स0 663 रकबा 1.74है., ख0स0 663/1309 रकबा 0.30है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.06है., कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर उक्त आराजी के तत्कालीन खातेदार मंगल्या पुत्र रोड़्या जाति माली निवासी खातौली द्वारा उक्त कृषि आराजी में से वादीक्रम 1 को 1.02है. वादी क्रम 2 को 1.01है.,

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अर्थात कुल रकबा 2.03है., कृषि भूमि स्थित जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अन्तरित कर दिया गया है। यह कि तद्नुसार उक्त कृषि भूमि में से विगत दिनांक 16/10/2014 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्रम 1 विधाबाई पत्नि स्व. महावीर नि0 खातौली प्रतिवादी क्रम 1 को रकबा 1.01है. एवं स्व. महावीर को रकबा 1.01है. अर्थात कुल रकबा 2.02है. कृषि भूमि अन्तरित कर दी गई है। उक्त विक्रय पत्रों का आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो पाने से निहित आराजी आज दिनांक तक मृतक खातेदारी स्व. मंगल्या के खाते दर्ज चली आ रही है, विक्रेता स्व. मंगल्या एवं क्रेता स्व महावीर की मृत्यु हो चुकी है, उक्त रिकार्ड में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रेतागण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सामन्जस्य नहीं हो पाने से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकन नहीं हो पाने से वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद पत्र में मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त कृषि आराजी की खातेदारी रिकार्ड में अंकन एवं बंटवारे हेतु प्रार्थना की गई है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु आदेश प्रसारित किये गये, प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 06/06/2023 को प्रस्तुत जवाबमय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की प्रार्थना प्रस्तुत की गई एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निर्णय हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली में अभिवचनों में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई मेटेरियल विरोधाभास नहीं होने से पत्रावली पर सीधे बहस सुनी जाकर निर्णय हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार मंगल्या द्वारा विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 व महावीर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से की जा चुकी है। इसलिए वादीक्रम 1, 2 प्रतिवादी क्रम 1 व महावीर समभाग से खातेदार घोषित होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्रियात्मक आदेश

वाद पत्र एवं जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार कर आदेश मय डिक्री प्रसारित किया जाता है कि ग्राम तलाव पटवार सर्कल तलाव तह. पीपल्दा के राजस्व रिकार्ड में स्थित खाता स0 299 नया में ख0स0 ख0स0 1500/663 रकबा 1.02है., ख0स0 1501/663 रकबा 1.01है., ख0स0 663 रकबा 1.74है., ख0स0 663/1309 रकबा 0.30है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.06है., भूमि में वादी क्रम 1 को 1/4 वादी क्रम 2 को 1/4 प्रतिवादिया क्रम 1 को 6/20 तथा प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 को 1/20-1/20 हिस्सा खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को जरिए तदनुसार पालना एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्णयमय डिक्री आदेशित किया जाता है। विवादित आराजीयात पर रहनभार है तो यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1– बृजमोहन उर्फ पप्पू पुत्र स्व. मंगल्या आयु 43 वर्श जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
2– राजेश बाई पत्नि स्व0 बृजमोहन उर्फ पप्पू जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)

– वादीगण

बनाम

1– विधाबाई पत्नि स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
2– विष्णु पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
3– दीपेन्द्र पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
4– रामराज पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
5– हरिशंकर पुत्र स्व0 महावीर जाति माली निवासी खातौली तह0 पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
6– राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88 आरटीएक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हेमन्त शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद पत्र एवं जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण आंशिक स्वीकार कर आदेश मय डिक्री प्रसारित किया जाता है कि ग्राम तलाव पटवार सर्कल तलाव तह. पीपल्दा के राजस्व रिकार्ड में स्थित खाता स0 299 नया में ख0स0 ख0स0 1500/663 रकबा 1.02है., ख0स0 1501/663 रकबा 1.01है., ख0स0 663 रकबा 1.74है., ख0स0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

663/1309 रकबा 0.30है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.06है., भूमि में वादी क्रम 1 को 1/4 वादी क्रम 2 को 1/4 प्रतिवादीया क्रम 1 को 6/20 तथा प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 को 1/20–1/20 हिस्सा खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को जर्ये तद्नुसार पालना एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्णयमय डिक्री आदेशित किया जाता है। विवादित आराजीयात पर रहनभार है तो यथावत रहेगा।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 4/7/23 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा